

साझा पालन-पोषण

प्रलिस के ललल:

बाल अधलकलरों पर संलुकुत रलषुतर कनुवेंशन (UNCRC) ।

मेनुस के ललल:

कसुडुडलल अधलकलर, सलझल डेरेंडलग, कसुडुडलल अधलकलरों पर सरुवुओओ नुडलडललड के नरलणड ।

ओरओ में कुडुडु?

डलतल-डतल के ववलह से अलग हुने की सुथतलल में बओओ की कसुडुडी डलंगनल बओओ के ललडल एक बहुत ही दरुदनलक घुटना है । डदुडडतललक के डलद डलतल-डतल अलग हुु डलते हैं, लेकनल डह 'बओओ के सरुवुओतुतड हतल' में नही है ।

- सरुवुओओ नुडलडललड ने वरुष 2019 में डुसल सुनलडल थल कल'एक बओओ कुु अडने डलतल-डतल दुनुु के सुनेह कल अधलकलर है' ।
- इस संदरुष में 'सलझल डेरेंडलग' की अवधलरणल बओओ के ललडल डददगलर हुु सकुती है । हललुुओक, डुरलतन कलनुनुु के कलरण डह डलरत में एक वकललुड नही है ।
- 'सलझल डेरेंडलग' कल आशुड उस सुथतलल से है, डब बओओ कुु डलतल-डतल के अलगलव के डलद डलतल-डतल दुनुु के डुडलर और डलरुगदरुशन के सलथ डललल डलतल है ।

डुरडुख डलदुडु

- 'बओओ के सरुवुओतुतड हतलल' कल आशुड:
 - डलरत बलल अधलकलरुु पर संलुकुत रलषुतर कनुवेंशन (UNCRC) कल एक हसुतलकुषरकुरुतल है ।
 - कशलुर नुडलड (बओओ की देखडललल और संरकषण) अधनलडड, 2015 में UNCRC में डुडुड 'बओओ के सरुवुओतुतड हतलल' की डुरडलषल कुु शलडलल कडलल गडल है ।
 - "बओओ के सरुवुओतुतड हतल" कल अरुथ है "बओओ के संबुध में ललडल गए कसुी डुी नरलणड कल आधलर उसके डुल अधलकलरुु और डुरुडरतुु, डहओलन, सलडललकल कलडुलण एवं शलरुीरकल, डलवनलतुडक व डुुदुधकल वकलस कल डुरुतल सुनशलओतल करने के ललडल" तथल कसुी डुी हरलसत की लडलई/ कसुडुडी डेटल (custody battle) में सरुवुडरल है ।
- डलरत में बओओ की कसुडुडी कल नरुधलरण करने वलले कलनुन:
 - वरुष 1956 कल हनुदु अडुरलडुतवडतल और संरकषकतल अधनलडड (HMGA):
 - इस अधनलडड में कलल गडल है कल'एक हदुडु नलडललगल लडुके डल अववललहतल लडुकी कल नैसरुगकल अडडललवक **Natural Guardian**) डतल और डलतल हुुंगे, डशरुते कल'एक नलडललगल की कसुडुडी डसलकी डलुओ वरुष की उडुर डुी नही हुई है सलडलनुडत डल के डलस हुुगी ।
 - हललुुओक HMGA में कसुडुडी अधलकलर तड करने डल नुडलडललड डवलरल अडडललवक घुषतल करने हेतु कुुई सुवतंतुर, कलनुनी डल डुरकुरुडलतुडक तंतुर शलडलल नही है ।
 - संरकषक और डुरतडललुड अधनलडड, 1890 (GWA)
 - डह बओओ और सडुतुतल दुनुु के संबुध में एक वुडकुतल कुु बओओ के 'अडडललवक' के रूड में नडुडुकुत करने से संबुधतल है ।
 - डलतल-डतल के डुीओ ओलडुड कसुडुडी, संरकषकतल और डुललकलतुु के डुदुुु कुु GWA के तहत नरुधलरतल कडलल डलतल है, अगुर नैसरुगकल अडडललवक अडने बओओ के ललडल एक वरुषल अडडललवक के रूड में घुषतल हुुनल ओलते हैं ।
 - GWA के तहत एक डलओकलल में डलतल-डतल के डुीओ ववलद हुुने डुर, HMGA के सलथ डुुडुकर डदल डलतल है, अडडललवकतल और कसुडुडी एक डलतल-डतल के सलथ दुसरे डलतल-डतल के डललने डल डुललकत के अधलकलरुु के सलथ नहलतल हुु सकुती है ।
 - ऐसल करने में नलडललल गडल "बओओ के सरुवुओतुतड हतल" कल कलडुलण सरुवुडरल हुुगल ।
- सरुवुओओ नुडलडललड के संबुधतल नरलणड:
 - सरुवुओओ नुडलडललड ने वरुष 2017 में ववलक सहल डनलड रुडलनल सहल डलडले में 'डेरेंडल एलीनेशन सडुडुरुड' की अवधलरणल डुर डुरकलश डललल ।
 - डह अडने डलतल-डतल के डुरतल'एक बओओ के अनुओतल तरलसुकर कुु संदरुडतल करतल है ।

- नरिणय में इसके "मनोवेज्जानकि वनिशकारी प्रभावों" को रेखांकित कयिा गया ।
- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'लहरी सखामुरी बनाम शोभन कोडाली मामले' में कहा कि "बच्चे के सर्वोत्तम हति" अपने अर्थ में व्यापक हैं और "प्राथमकि देखभाल, के मामले में माँ का प्यार और देखभाल ही काफी नहीं है ।
- वर्ष 2022 में वसुधा सेठी बनाम करिण वी. भास्कर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक बच्चे का कल्याण माता-पतिा का व्यक्तगित या व्यक्तगित कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि अभरिक्षा की लड़ाई में सर्वोपरि है । माता-पतिा के अधिकारों पर बच्चे के कल्याण को प्राथमकिता मलिनी चाहयिे ।
- साझा पालन-पोषण पर कानूनी राय:
 - वर्ष 2015 में भारतीय वधिा आयोग की रपिर्ट में भारत में संरक्षकता और अभरिक्षा कानूनों में सुधार के मुद्दे पर संयुक्त अभरिक्षा एवं साझा पालन-पोषण की सफिरशि की गई ।
 - यह एक माता-पतिा के साथ एकल बाल अभरिक्षा के वधिार से असहमत था ।
 - इसने संयुक्त अभरिक्षा के लयिे HMGA और GWA में संशोधन हेतु और इस तरह की हरिसत, बाल सहायता और मुलाकात व्यवस्था से संबंधति दशिा-नरिदेशों की वसितृत सफिरशें की ।
 - भारत के वधिा आयोग की रपिर्ट 263, जसिका शीर्षक है **बच्चों का संरक्षण (अंतर-देश नषिकासन और ध्यान) वधिेयक, 2016** ने यूएनसीआरसी (UNCRC) के अनुसार हरिसत से संबंधति "**बच्चों के सर्वोत्तम हति**" की रक्षा के लयिे एक वधिेयक प्रस्तुत करने की सफिरशि की है ।
 - वर्ष 2018 में सरकार को सौपी गई **जस्टसि बदिल कमेटी** की रपिर्ट में यह भी कहा गया है कि यूएनसीआरसी (UNCRC) के मद्देनजर चाइल्ड कस्टडी से संबंधति मामलों में "**बच्चों के सर्वोत्तम हति**" सर्वोपरि हैं ।

आगे की राह

- एक **बाल-केंदरति मानवाधकिार न्यायशास्त्र (child-centric human rights jurisprudence)** जो समय के साथ वकिसति और इस सदिधांत पर स्थापति कयिा गया है कि सार्वजनकि भलाई बच्चे के उचति वकिस की मांग करती है, जो राष्ट्र का भवषिय है ।
- इसलयिे समान अधिकारों के साथ साझा या संयुक्त पालन-पोषण बच्चे के इष्टतम वकिस हेतु एक **व्यवहार्य, व्यावहारकि, संतुलति समाधान** हो सकता है ।

स्रोत: द हदिू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/shared-parenting>

